137

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection(1) of section 619 A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Eighteenth Annual Report and Accounts of Gujarat Agro Industries Corporation Ltd., Ahmedabad for the year 1986-87 together with the Auditors report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (II) Review by Government on the working of the Corporation.
- II. Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at I(i) above.

[Placed in Library See No. LT-846/90.]

Public Notice notifying the Newsprint Allocation Policy for the Licensing year April, 1990-March, 1991.

SHRI JAGDEEP DHANKAR :
Madam, On bahalf of Shri P. Upedra,
1 lay on the Table a copy each (in
English and Hindi) of the Public
Notice No. 1-PR-NP/90 , dated the
18th May, 1990, noticying the
Newsprint Allocation Policy for
the Licensing year April 1990 —
March, 1991. [Placed in Library.
See No. LT-882/90].

Report and Accounts (1988-89) of the Central Board for Workers' Education, Nagpur and related papers.

श्रम एवं करयाण मंत्री (श्री राम विलास पासदाम) : महोदया, मैं निन्नलिखित पत्नों की एक प्रति (ग्रंग्रेजो तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हं—

- (ं) 1988-89 के वर्ष के लिए सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कसं एजुकेशन नामपुर का 30वां वार्षिक प्रति-वेदन ग्रीर लेखों, लेखाओं पर लेखा-परोक्षकों के प्रतिवेदन सहित।
 - (ंं) बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखत पत्नों क सभा पटल पर रखने में हुए यिल-ब के कारणों को दशाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई] देखिए संख्या एल टी—833/90

Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies).

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्राख्य में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) महोदया में निभ्नतिखित पत्न सभा पटल पर रखता है:---

- 1. ग्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अर्धान खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्राक्ष्य (नाग-रिक पूर्ति विभाग) की निम्नलिखित अधि-सुचना की एक-एक प्रति (अंग्रेर्ज, तथा हिन्दी में) ——
 - (i) दाल, खाने योग्य तिलहन ग्रीर खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) संशोधन श्रादेश, 1990 को प्रकाशित करने वाला का.श्रा. सं. 256(%), दिनांक 26 मार्च, 1990
 - (i) दाल, खाने योग्य तिलहन ग्रीर खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) डितीय संशोधन ग्रादेश, 1990 को प्रकाशित करने वाला कांग्या० सं० 331(ग्र), दिनांक 18 ग्रप्रैल, 1990 [पुरतक लय में रखी गई (i) तथा (ii) के लिये देखिए सं००एल०टी०-984/90]

II उपभोक्ता संरक्षण ब्रधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (2) के ब्रधीन दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण (सं-शोधन) नियमावली, 1989 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंतालय की ब्रधिसूचना सं० का० 50 (131)/86-खा० सं०/उ० का दिनांक 23-10-1989 की एक प्रति (संग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संस्थाएल०टी० 985/90]।